भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4623

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

यमुना जल पाइपलाइन परियोजना

4623. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा यमुना जल पाइपलाइन परियोजना का नवीनीकरण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई कार्यबल गठित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अप्रैल 2025 में आयोजित कार्यबल की बैठकों के बाद उक्त परियोजना में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) राजस्थान में उक्त परियोजना का क्या प्रभाव होगा; और

(च) परियोजना की समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और देरी से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (च): हरियाणा और राजस्थान द्वारा हथिनीकुंड से भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में यमुना जल के अंतरण के लिए दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रस्तावित परियोजना के पहले चरण में, हथिनीकुंड में दिल्ली के हिस्से सहित, हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूरी क्षमता (24,000 क्यूसेक) का उपयोग करने के बाद, जुलाई से अक्टूबर के दौरान चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से 577 एमसीएम जल अंतरण करने की परिकल्पना की गई है। दोनों राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए कार्यबल का गठन किया है। राजस्थान ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया है।

*****